



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-30062026-273946  
CG-WB-E-30062026-273946

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3371]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2026/ आषाढ 9, 1948

No. 3371]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2026/ ASHADHA 9, 1948

रेल मंत्रालय

[पूर्व रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

कोलकाता, 30 जून, 2026

का.आ. 3506(अ).— केंद्रीय सरकार, रेल (अमेण्डमेंट) अधिनियम, 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 20A की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त-शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसमें उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, पश्चिम बंगाल राज्य के जिला नादिया में विशेष रेल परियोजना "नैहाटी-रानाघाट तीसरी लाइन" के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है; उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति; राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20D की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अर्जन), नदिया, पश्चिम बंगाल में लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम में सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच

यदि कोई हो करने के पश्चात् जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो प्रक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा:

उक्त अधिनियम की धारा 20D की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य व्यौरे उपलब्ध हैं और हितवद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

नदिया ज़िले में "नैहाटी-रानाघाट तीसरी लाइन" नामक विशेष रेलवे परियोजना के लिए, संरचना सहित या उसके बिना, अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	ज़िला	पुलिस स्टेशन	मौजा, जेएल नंबर और शीट नंबर सहित	प्लॉट नंबर		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहित किए जाने वाले क्षेत्र	
				आर एस	एल आर			एकड़	हेक्टेयर
1	2	3	4	5		6	7	8	
1	नदिया	चाकदह	बालियाडांगा जे.एल. नंबर 21 (शीट नंबर - X)	105	105	निजी	गैर-कृषि	0.0578	0.0234
2				104/374	104/374	निजी	गैर-कृषि	0.0654	0.0265
3				104	104	निजी	गैर-कृषि	0.0557	0.0225
4				104/375	104/375	निजी	गैर-कृषि	0.0600	0.0243
5				86	86	निजी	कृषि	0.1092	0.0442
6				85/361	85/361	निजी	कृषि	0.1109	0.0449
7				85/362	85/362	निजी	कृषि	0.0525	0.0212
8				85	85	निजी	कृषि	0.1272	0.0515
9				72/1017	72/1017	सरकारी	गैर-कृषि	0.0746	0.0302
10				72/319	72/319	निजी	गैर-कृषि	0.1424	0.0576
11				71	71	सरकारी	गैर-कृषि	0.0837	0.0339
12				70/313	70/313	निजी	गैर-कृषि	0.1953	0.0790
13				106	106	सरकारी	गैर-कृषि	0.0500	0.0202
14				55	55	सरकारी	गैर-कृषि	0.0020	0.0008

[फा. सं. मु.प्र.अ./नि./भू./ 168]

मनोज खॉं, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

**MINISTRY OF RAILWAYS**  
**[Eastern Railway (Construction Department)]**  
**NOTIFICATION**

Kolkata, the 30th June, 2026

**S.O. 3506(E).**— In exercise of the powers conferred by the sub-section(1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 2008 (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the Schedule annexed here to, is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Railway Project, namely, "Naihati-Ranaghat 3rd Line Project" in the district of Nadia in the State of West Bengal, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Additional District Magistrate (LA), Nadia, West Bengal in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final;

The laid plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

**Brief description of land to be acquired with or without structure for Special Railway Project namely "Naihati-Ranaghat 3rd line" in the District of Nadia**

Sl. No.	District	Police Station	Mouza with J.L. No. & Sheet No.	Plot No.		Type of land	Nature of land	Area to be acquired	
				RS	LR			Acres	Hectares
1	2	3	4	5		6	7	8	
1	NADIA	CHAKDAHA	BALIADANGA J.L. NO. 21 (SH. NO. - X)	105	105	Private	Non - Agriculture	0.0578	0.0234
2				104/374	104/374	Private	Non - Agriculture	0.0654	0.0265
3				104	104	Private	Non - Agriculture	0.0557	0.0225
4				104/375	104/375	Private	Non - Agriculture	0.0600	0.0243
5				86	86	Private	Agriculture	0.1092	0.0442
6				85/361	85/361	Private	Agriculture	0.1109	0.0449
7				85/362	85/362	Private	Agriculture	0.0525	0.0212
8				85	85	Private	Agriculture	0.1272	0.0515
9				72/1017	72/1017	Government	Non - Agriculture	0.0746	0.0302
10				72/319	72/319	Private	Non - Agriculture	0.1424	0.0576
11				71	71	Government	Non - Agriculture	0.0837	0.0339

12				70/313	70/313	Private	Non - Agriculture	0.1953	0.0790
13				106	106	Government	Non - Agriculture	0.0500	0.0202
14				55	55	Government	Non - Agriculture	0.0020	0.0008

[F. No. CAO/Con/L/168]

MANOJ KHAN, Chief Administrative Officer/Con